

I/311421/2023

संख्या- 09 /2023/77-1-2022-02 बजट-15/001-787

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनुसचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2023

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप) लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ के पत्र संख्या- इटप/प्रशा०/2023-24/23, दिनांक 21.04.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ के विद्युत एवं दूरभाष, कच्चा माल, कन्ज्यूमेबल ऑयल, लुब्रीकेन्ट, तकनीकी पुस्तकें, प्रशिक्षण कार्यशाला का रख-रखाव, प्रशासनिक व्यय, विधिक/परामर्श व्यय, मशीन, कम्प्यूटर क्रय करने, उपकरणों का रख-रखाव तथा संस्थान के भवन का अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0-6,51,48,000.00 (रूपया छः करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹0-1,00,00,000.00 (रूपया एक करोड़ मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
2. प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
3. सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0-1,00,00,000.00 (रूपया एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001800 इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

I/311421/2023

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by रजनी कान्त भवदीय,

पाण्डेय

(रजनी कान्त पाण्डेय)

Date: 03-05-2023 11:03:54 अनुसचिव,

Reason: Approved 30 प्र 0 शासन।

संख्या- /2023/77-1-2022-02 बजट-15/001-787, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30 प्र 0, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, 30 प्र 0, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू पी 0 (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु 0-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, 30 प्र 0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, 30 प्र 0 शासन।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, 30 प्र 0 शासन।
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव,

30 प्र 0 शासन।